कार्ड टोकनाइज़ेशन

प्रलिम्सि के लयि:

आरबीआई, कार्ड टोकनाइज़ेशन, कार्ड-ऑन-फाइल।

मेन्स के लयि:

आरबीआई की रपिोर्ट, कार्ड टोकनाइज़ेशन, कार्ड-ऑन-फाइल।

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने कार्डधारकों को व्यवधान और असुवधिा से बचने हेतु डेबटि और क्रेडटि कार्ड के टोकनाइज़ेशन के लयि समय सीमा 30 सतिंबर, 2022 तक तीन महीने बढ़ा दी है।

- 30 सतिंबर के बाद कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क के अलावा कार्ड लेन-देन या भुगतान शृंखला में कसिी भी इकाई को CoF (कार्ड-ऑन-फाइल डेटा या वास्तवकि कार्ड डेटा का भंडारण) को संग्रहीत नहीं करना चाहयि इसके अलावा पहले संग्रहीत ऐसे कसिी भी डेटा को समाप्त कर दयिा जाएगा।

टोकनाइज़ेशन और कार्ड-ऑन-फाइल:

- **टोकनाइज़ेशन**: यह **वास्तवकि क्रेडटि और डेबटि कार्ड के ववरिण को "टोकन"** नामक एक **वैकल्पकि कोड के साथ बदलने** को संदर्भति करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डवािइस के संयोजन के लयि अद्वतिीय होगा।
  - एक **टोकनयुक्त कार्ड** लेन-देन को **सुरक्षति** माना जाता है क्योंकि लेनदेन प्रक्रयिा के दौरान वास्तवकि कार्ड ववरिण व्यापारी के साथ साझा नहीं कयिा जाता है।
  - जनि ग्राहकों के पास टोकन की सुवधिा नहीं है, उन्हें हर बार ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने पर अपना नाम, 16 अंकों का कार्ड नंबर, समाप्ति तथिि और CVV दर्ज करना होगा।
  - अब तक करीब 19.5 करोड़ टोकन बनाए जा चुके हैं। कार्डधारकों के लयि CoFT **(टोकन बनाना) का वकिल्प स्वैच्छकि है।**
- **कार्ड-ऑन-फाइल:** CoF लेनदेन एक ऐसा लेन-देन है जहाँ कार्डधारक ने कार्डधारक के मास्टरकार्ड या वीज़ा भुगतान ववरिण को संग्रहीत करने हेतु एक व्यापारी को अधकि‍ृत कयिा है।
- कार्डधारक तब उसी व्यापारी को अपने संग्रहीत मास्टरकार्ड या वीज़ा खाते से ही बलि करने के लयि अधकि‍ृत करता है।
  - ई-कॉमर्स कंपनयिाँ और एयरलाइंस तथा सुपरमार्केट चेन सामान्य रूप से अपने सस्टिम में कार्ड ववरिण को संग्रहीत करते हैं।

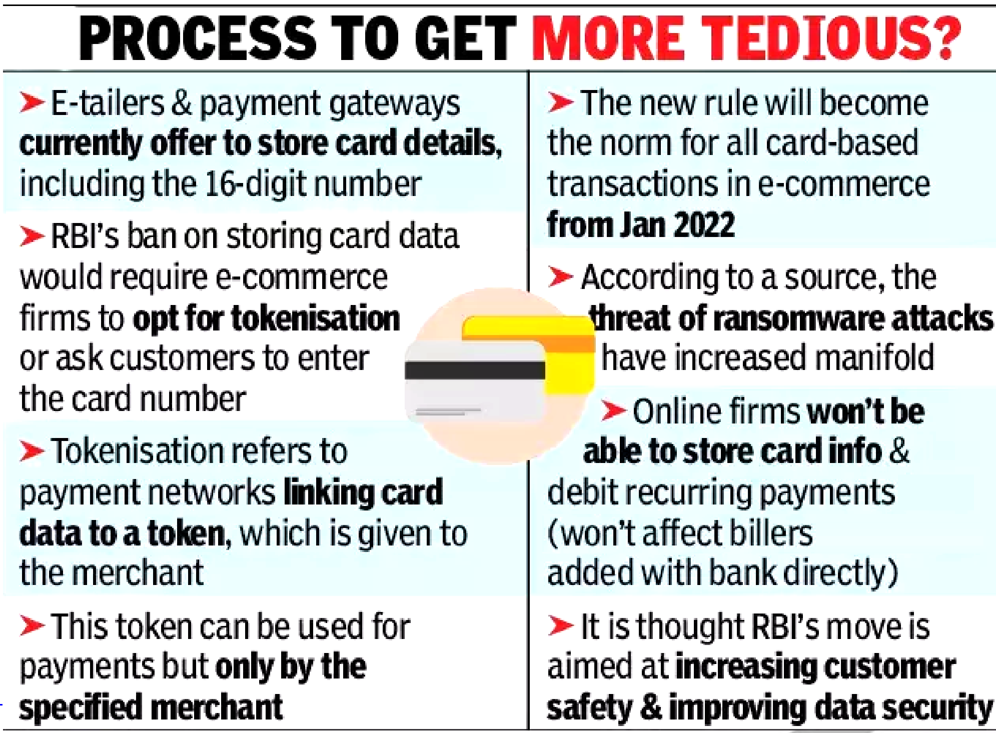

PROCESS TO GET MORE TEDIOUS?

- E-tailers & payment gateways **currently offer to store card details,** including the 16-digit number
- RBI's ban on storing card data would require e-commerce firms to **opt for tokenisation** or ask customers to enter the card number
- Tokenisation refers to payment networks **linking card data to a token,** which is given to the merchant
- This token can be used for payments but **only by the specified merchant**
- The new rule will become the norm for all card-based transactions in e-commerce **from Jan 2022**
- According to a source, the **threat of ransomware attacks** have increased manifold
- Online firms **won't be able to store card info** & debit recurring payments (won't affect billers added with bank directly)
- It is thought RBI's move is aimed at **increasing customer safety & improving data security**

- **कार्डों का टोकनीकरण क्यों आवश्यक है?**
  - एक ऑनलाइन कार्ड लेन-देन शृंखला में शामलि कई संस्थाएँ भविष्य में लेन-देन करने के लिये कार्ड डेटा जैसे कार्ड नंबर और समाप्तति तिथि कार्ड-ऑन-फाइल स्टोर करती हैं। हालाँकि यह अभ्यास सुविधाजनक प्रदान करता है, कई संस्थाओं के साथ कार्ड विवरण की उपलब्धता से कार्ड डेटा चोरी या दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ जाता है।
  - ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ व्यापारियों द्वारा संग्रहीत ऐसे ही डेटा से समझौता किया गया है।
  - कई क्षेत्राधिकार कार्ड लेन-देन को प्रमाणति करने के लिये **प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA)** अनविार्य नहीं है, धोखेबाजों के हाथों चोरी किये गए डेटा के परिणामस्वरूप **अनधिकृत लेन-देन** हो सकता है और **कार्डधारकों को मौद्रिक नुकसान हो सकता** है। भारत के भीतर भी ऐसे डेटा का उपयोग करके धोखाधड़ी करने के लिये **सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों को नियोजति** किया जा सकता है।

यू.पी.एस.सी. सिविलि सेवा परीक्षा, विगित वर्षों के प्रश्न

प्र. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकरों के बैंको (केंद्रीय बैंक) के रूप में कार्य करता है। इसका/इसके अर्थ निम्नलिखिति में से कौन-सा/से है/हैं? (2012)

1. अन्य बैंक RBI के पास अपनी जमा संचति रखते हैं।
2. आवश्यकता के समय RBI वाणिज्यिकि बैंको को ऋण देता है।
3. RBI वाणिज्यिकि बैंको को मौद्रिकि विषियों पर परामर्श देता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, और 3

उत्तर: (d)

- भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्भव वर्ष 1926 में देखा जा सकता है, जब भारतीय मुद्रा और वित्ति पर रॉयल कमीशन (जिसे हिल्टन-यंग कमीशन के रूप में भी जाना जाता है) ने मुद्रा और क्रेडिट के नियंत्रण को अलग करने के लिये भारत हेतु एक केंद्रीय बैंक के निर्माण की सिफारिश की थी। सरकार से और पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिये वर्ष 1934 के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई।
- **बैंकर्स बैंक और पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई की भूमिका:**
  - RBI बैंकों की नगदी का एक हिस्सा अपने पास रखता है तथा उन्हें छोटी अवधि के लिये धन उधार देता है और उन्हें केंद्रीकृत समाशोधन एवं सस्ती और त्वरति प्रेषण सुविधाएँ प्रदान करता है। **अत: कथन 2 सही है।**
  - RBI को वैधानिकि रूप से अधिकृत है कि वह अनुसूचति वाणिज्यिकि बैंकों को अपनी शुद्ध मांग समय देयताओं (NDTL) का एक निर्धारति अनुपात जमा करे। **अत: कथन 1 सही है।**

- बैंकों के बैंकर के रूप में, रज़िर्व बैंक 'अंतमि ऋणदाता' के रूप में भी कार्य करता है। यह एक ऐसे बैंक के बचाव में आ सकता है जो सॉल्वेंट है, लेकनि अस्थायी तरलता की समस्याओं का सामना करता है, जब उसे बहुत आवश्यक तरलता की आपूर्ति होती है, जब कोई और उस बैंक को ऋण देने के लयि तैयार नहीं होता है।
- RBI को अंतमि ऋणदाता के रूप में कार्य करना चाहयि।
- RBI मौद्रकि मामलों में वाणज्यिकि बैंकों की नगिरानी करता है तथा उन्हें सलाह भी देता है। **अत: कथन 3 सही है**

अत: वकिल्प (D) सही उत्तर है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/card-tokenisation